

शिक्षक नियम एवं विनियम (Rules & Regulations for Teachers)

शिक्षक विवरण (Teacher Details)

शिक्षक का नाम : _____

शिक्षक का मोबाइल नंबर : _____

शिक्षक ID नंबर : _____

सामान्य नियम (General Rules)

- प्रत्येक शिक्षक को Anjveda Vikas Sansthan एवं Goonj Shiksha Niketan की विचारधारा, उद्देश्य और नियमों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा।
- शिक्षक का कार्य केवल निःशुल्क शिक्षा देना है, न कि किसी भी प्रकार का निजी लाभ कमाना।
- शिक्षक को ईमानदारी, नैतिकता, अनुशासन और पारदर्शिता के साथ कार्य करना होगा।
- शिक्षक का व्यवहार बच्चों, अभिभावकों और संस्था के अधिकारियों के प्रति सम्मानजनक और मर्यादित होना चाहिए।

बच्चों की सुरक्षा से संबंधित सख्त नियम (Child Safety Rules)

- किसी भी शिक्षक को किसी भी बच्चे को शारीरिक रूप से छूने, मारने, डराने, धमकाने या अपमानित करने की अनुमति नहीं होगी।
- बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की अशोभनीय, अनुचित, व्यक्तिगत या गोपनीय बातचीत पूर्णतः प्रतिबंधित है।
- शिक्षक द्वारा बच्चों से अकेले में मिलना, बंद कमरे में बैठाना या एकांत में बुलाना सख्त मना है।
- बच्चों के साथ मोबाइल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, कॉल, मैसेज या वीडियो कॉल द्वारा निजी संपर्क प्रतिबंधित है।
- किसी भी शिक्षक को बच्चे की फोटो, वीडियो या जानकारी बिना संस्था की अनुमति के लेना या साझा करना अपराध माना जाएगा।
- बच्चों के साथ धार्मिक, राजनीतिक, जातिगत या व्यक्तिगत विचार थोपना सख्त वर्जित है।

अनुशासन एवं आचरण (Discipline & Conduct)

- शिक्षक को समय पर कक्षा शुरू और समाप्त करनी होगी।
- शिक्षक को नशा (शराब, तंबाकू, गुटखा, ड्रग्स आदि) पूर्णतः वर्जित है।
- शिक्षक को कक्षा में अश्लील, आपत्तिजनक, भ्रामक या हिंसात्मक भाषा/उदाहरण का प्रयोग नहीं करना होगा।
- शिक्षक को किसी भी बच्चे से ऊँची आवाज़ में बात करना या मानसिक दबाव बनाना मना है।
- शिक्षक को बच्चों में डर नहीं बल्कि विश्वास, संस्कार और आत्मविश्वास विकसित करना होगा।

आर्थिक एवं भ्रष्टाचार विरोधी नियम

16. कोई भी शिक्षक किसी भी बच्चे या अभिभावक से पैसे, उपहार, सुविधा या सहयोग की मांग नहीं करेगा।
17. शिक्षक द्वारा फीस, चंदा, डोनेशन, किताब, यूनिफॉर्म या किसी सामग्री के नाम पर पैसा लेना सख्त अपराध होगा।
18. संस्था के नाम का उपयोग कर कोई निजी व्यापार, प्रचार या लेन-देन करना प्रतिबंधित है।
19. किसी भी प्रकार की फर्जी रिपोर्ट, झूठी जानकारी या आंकड़ों में हेराफेरी गंभीर अपराध मानी जाएगी।

संस्था की गरिमा एवं गोपनीयता

20. शिक्षक संस्था के आंतरिक दस्तावेज़, योजनाएँ, मीटिंग या निर्णय सार्वजनिक नहीं करेगा।
21. सोशल मीडिया पर संस्था के खिलाफ नकारात्मक, भ्रामक या अपमानजनक पोस्ट करना सख्त मना है।
22. शिक्षक को संस्था के नाम, लोगो या पहचान का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं है।

रिपोर्टिंग एवं उत्तरदायित्व

23. प्रत्येक शिक्षक को नियमित रूप से उपस्थिति, कक्षा विवरण एवं प्रगति रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा।
24. संस्था द्वारा मांगी गई किसी भी जानकारी को समय पर और सत्य रूप में देना अनिवार्य है।
25. शिक्षक को अपने वरिष्ठ (Block / District / Zonal / State Level) अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना होगा।

शिकायत एवं जांच नियम

26. किसी भी बच्चे, अभिभावक या अधिकारी की शिकायत पर संस्था द्वारा जांच की जाएगी।
27. जांच के दौरान शिक्षक को पूर्ण सहयोग करना अनिवार्य होगा।
28. दोषी पाए जाने पर तत्काल निलंबन, बर्खास्तगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
29. किसी भी शिक्षक को संस्था के विरुद्ध कानूनी दावा या दबाव बनाने की अनुमति नहीं होगी।

अनुबंध समाप्ति (Termination Rules)

30. नियमों के उल्लंघन पर संस्था को बिना किसी पूर्व सूचना के शिक्षक की सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा।

31. गंभीर मामलों में शिक्षक के विरुद्ध POCSO Act, IPC एवं अन्य कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
 32. सेवाएं समाप्त होने पर शिक्षक को संस्था के नाम, सामग्री और पहचान से तुरंत दूरी बनानी होगी।
-

नैतिक घोषणा (Declaration)

33. प्रत्येक शिक्षक यह घोषणा करता है कि:

- उसने कोई रिश्त या अनुचित साधन अपनाकर नियुक्ति नहीं ली है।
 - वह बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा।
 - वह संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाला कोई कार्य नहीं करेगा।
-

अंतिम चेतावनी

Goonj Shiksha Niketan में बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है।

किसी भी प्रकार की लापरवाही, दुर्व्यवहार या गलत आचरण को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

शिक्षक के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर : _____

तारीख : _____

स्थान : _____